मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
म. प्र. मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3/1/3/99

भोपाल, दिनांक 15-2-99

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के विरुद्ध लघुशास्ति अधिरोपित करने संबंधी संभागायुक्तों को अधिकार.

संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5-93-3-एक, दिनांक 13 अगस्त 1997.

उक्त संदर्भित अधिसूचना द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 (2) (क) एवं (ख) के अनुसरण में समस्त संभागायुक्तों को अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा एवं पुलिस विभाग से भिन्न) शासकीय सेवकों के संबंध में उक्त नियम के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शक्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है.

2. शासन के ध्यान में लाया गया है कि उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ में संभागायुक्तों द्वारा प्रथम/द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों को निलम्बित किये जाने की कार्यवाही भी यह समझकर की गई है कि लघुशास्ति अधिरोपित करने के अधिकार प्राप्त होने के कारण निलम्बन के अधिकार भी उन्हें स्वयमेव प्राप्त हो गये हैं.

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के नियम-9 के अधीन निलम्बन के अधिकार संभागायुक्तों को प्रदत्त नहीं किये गये हैं. अधिसूचना दिनांक 13-8-1997 केवल नियम-10 के खण्ड (एक) से (चार) तक के लिये प्रभावी है. इसे नियम-9 के लिये प्रभावी नहीं माना जा सकता.

4. शासन की अपेक्षा है कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावे और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को आयुक्तों द्वारा निलम्बित न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.